न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–344/2017 (RCMS No. 2017/00366) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

छोटू पुत्र रधुनाथ जाति काछी निवासी पांचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. पुरूषोत्तम उर्फ परसराम पुत्र श्रीनारायण जाति नाई निवासी पांचोलास
2. श्रीमती पिस्तोला पत्नी राधेश्याम जाति काछी निवासी पांचोलास
3. राजमल पुत्र छोटू जाति काछी निवासी पांचोलास
4. गणेश पुत्र छोटू जाति काछी निवासी पांचोलास
5. घनश्याम पुत्र नाथू जाति तेली निवासी पांचोलास
6. श्रीमती प्रेम पत्नी घनश्याम जाति तेली निवासी पांचोलास
7. मूलचंद पुत्र श्रीनारायण जाति काछी (मृतक)
   7/1 कमला बेवा मूलचंद
   7/2 हेमराज पुत्र मूलचंद
8. राधेश्याम पुत्र श्रीनारायण जाति काछी निवासी पांचोलास (मृतक)
   8/1 कानी बेवा राधेश्याम
   8/2 राजेन्द्र पुत्र स्व0 राधेश्याम
   8/3 श्योजराज पुत्र स्व0 राधेश्याम
9. केलास पुत्र श्रीनारायण जाति काछी निवासी पांचोलास
10. लल्लू पुत्र श्रीनारायण जाति काछी निवासी पांचोलास
11. प्रहलाद पुत्र श्रीनारायण जाति नाई निवासी फलोदी तहसील सवाई माधोपुर
12. सरकार जरिये तहसीलदार, सवाई माधोपुर
13. सरपंच, ग्राम पंचायत, भूरी पहाडी

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर दिनांक 21.01.16

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री श्रीदास सिंह, वकील रैस्पोडैन्ट

नि र्ण य **दिनांक :–31.07.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 21.01.16 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/रैस्पो0 पुरूषोत्तम ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 596/2 रकवा 5 बीघा, 596/1 रकवा 3 बीघा, 596/2 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा कुल रकवा 9 बीघा 14 विस्वा वांके ग्राम पांचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी प्रार्थी का आवंटित हुई थी तथा पटवारी व गिरदावर ने मौके पर कब्जा दिया था। बन्दोबस्त ने उक्त ख0 नं0 के हाल ख0 नं0 1762 रकवा 2.10 है0, 1789 रकवा 0.01 है0, 1790 रकवा 0.40 है0 बनाये हैं। वन्दोवस्त कर्मचारियों ने सहवन से उक्त ख0 नं0 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिये हैं। अतः उक्त खसरा नम्बरान को प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार ने जबाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि ग्राम पांचोलास में मुताविक रिपोर्ट पटवारी नामा0 सं0 48 दिनांक 04.06.75 सरपंच ग्राम पंचायत पांचोलास द्वारा गत ख0नं0 596/2 रकवा 5 बीघा व नामा0 सं0 200 तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा गत ख0 नं0 596/1 रकवा 3 बीघा 596/2 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा पुरूषोत्तम पुत्र श्रीनारायण नाई के पक्ष में स्वीकार हुआ। उपरोक्त दोनों नामान्तरकरणों का तत्कालीन जमाबन्दी में अमल नही हुआ। गत ख0 नं0 के हाल ख0 नं0 1762 रकवा 2.10 है0, 1789 रकवा 0.01 एवं 1790 रकवा 0.40 है0 बने है जो छोटूलाल पुत्र रघुनाथ काछी की खातेदारी में दर्ज हैं। इन नम्बरों पर वर्तमान में पुरूषोत्तम नाई का कब्जा है। अप्रार्थी सं0 1, 3 व 4 की ओर से जबाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी अपने आप को ख0नं0 596/1 का खातेदार बताता है किसी ट्रेसपासर या अतिक्रमी को धारा 136 एलआरएक्ट का दावा लाने का अधिकार नही है। अप्रार्थी सं0 13 ने जबाब पेश किया। उक्त आराजी दिनांक 17.07.65 को पुरूषोत्म के पिता स्व0 श्रीनारायण के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उनके फोत होने पर उनके वारिसान पांचों लड़कों प्रहलाद, मूलचन्द पुरूषेतम, कुन्दन व रमेश के नाम दर्ज हुई है। उक्त आराजी पर सभी भाईयों का शामलाती कब्जा है। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 11 का नाम हटाकर प्रार्थी के नाम के साथ अप्रार्थी सं0 13 का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर यह माना कि विवादित भूमि का नामा0 दर्ज हुआ था परन्तु उसका अमल नही हुआ था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ख0 नं0 1762 रकवा 2.10 है0, 1789 रकवा 0.01 एवं 1790 रकवा 0.40 है0 वांके पांचोलास पर से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 11 का नाम हजफ कर प्रार्थी पुरूषेत्तम की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर को दिये। इस निर्णय के विरूद्व यह अपील पेश हुई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अभिलेख अधिकार में किसी लिपिकीय त्रृटि या किसी ऐसी त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है जिसे हितवद्व पक्षकार स्वीकार करते हों तथा इस प्रकार का अनुतोष सिर्फ धारा 88 आरटीए के तहत घोषणात्मक वाद में ही दिया जा सकता है। धारा 136 में पारित इस प्रकार के निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य एवं अकृत हैं। जैसाकि 2009(2) 1018, 2009 आरबीजे 825 में मत प्रतिपादित किया गया है। रैस्पो0 सं0 1 पुरूषोतम ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनगढंत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। तहसीलदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.05.2013 से स्पष्ट था कि नामा0 सं0 48 दिनांक 04.06.75 एवं नामा0 सं0 200 जो पुरूषोतम के नाम आराजी ख0 नं0 596/1 रकवा 3 बीघा एवं 596/2 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा का स्वीकार हुआ है। उक्त नामा0 का जमाबन्दी चौसाला में अमल नही किया गया है इससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में रैस्पो. सं0 1 का नाम कहीं दर्ज नही हुआ है और जब वह खातेदार ही नही है तो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही के तहत दुरूस्ती किस प्रकार करा सकता है। रैस्पो0 सं0 1 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तो उसकी दुरूस्ती का आदेश अपने आप में विधि विरूद्ध एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनका तर्क है कि तहसीलदार की रिपोर्ट मौके के विपरीत है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। उनका तर्क है कि ख0 नं0 596 एक बड़ा रकवा है तथा मौके पर किसी प्रकार की कोई तरमीम नक्शा ट्रेस में नही है तो प्रार्थना पत्र में अंकित ख0 नं0 पर किस आधार पर रैस्पो0 सं0 1 का कब्जा माना है, यह भी स्पष्ट नही है। जबकि वास्तविकता यह है कि ख0 नं0 596/1 रकवा 101 बीघा भूमि को मदन सिंह पुत्र केसरी सिंह से गोविन्दा छोटू पिसरान रधुनाथ एवं श्रीनारायण पुत्र घासी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.63 को क्रय किया था तथा उसी दिन से आज दिनांक तक अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नही किया है। उनका तर्क है कि धारा 136 की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है। धारा 136 के अन्तर्गत एक मात्र रिपोर्ट मंगाकर सिर्फ तकनीकी त्रुटि को दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदारी को परिवर्तन करने का अधिकार नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 596/2 रकवा 5 बीघा, 596/1 रकवा 3 बीघा, 596/2 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा कुल रकवा 9 बीघा 14 विस्वा वांके ग्राम पांचोलास रैस्पो0 सं0 1 की खातेदारी की है। उक्त आराजी पुरूषोतम को आवंटित हुई थी तथा मौके पर कब्जा दिया था। बन्दोवस्त ने उक्त ख0 नं0 के हाल ख0 नं0 1762 रकवा 2.10 है0, 1789 रकवा 0.01 है0 एवं 1790 रकवा 0.40 है0, बनाये हैं। जिन पर अपीलान्ट व अन्य रैस्पो0 के नाम दर्ज कर दिये हैं। जबकि आवंटित शुदा भूमि का नामा0 सं0 48 दिनांक 04.06.75 सरपंच ग्राम पंचायत पांचोलास द्वारा गत ख0नं0 596/2 रकवा 5 बीघा व नामा0 सं0 200 तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा गत ख0 नं0 596/1 रकवा 3 बीघा 596/2 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा रैस्पो0 पुरूषोत्तम पुत्र श्रीनारायण नाई के हक में तस्दीक हुआ था। उपरोक्त दोनों नामान्तरकरणों का तत्कालीन जमाबन्दी में अमल नही हुआ। बल्कि गत ख0 नं0 से बने हाल ख0 नं0 पर छोटूलाल पुत्र रघुनाथ काछी की खातेदारी में दर्ज कर दिया था। जबकि उक्त खसरा नम्बरान पर वर्तमान में रैस्पो0 पुरूषोत्तम का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रैस्पो0 सं0 1 की भूमि का नामा0 दर्ज हुआ था परन्तु उसका अमल नही हुआ था। यदि पूर्व में ही अमल हो जाता तो यह परेशानी नही आती। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन कर ही निर्णय पारित किया है। धारा 136 के तहत दुरूस्ती करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पो0 पुरूषोत्तम ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 596/2 रकवा 5 बीघा, 596/1 रकवा 3 बीघा, 596/2 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा कुल रकवा 9 बीघा 14 विस्वा वांके ग्राम पांचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी प्रार्थी का आवंटित हुई थी तथा पटवारी व गिरदावर ने मौके पर कब्जा दिया था। बन्दोवस्त ने उक्त ख0 नं0 के हाल ख0 नं0 1762 रकवा 2.10 है0, 1790 रकवा 0.40 है0, 1789 रकवा 0.01 है0 बनाये हैं। वन्दोवस्त कर्मचारियों ने सहवन से उक्त ख0 नं0 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिये हैं। अतः उक्त खसरा नम्बरान को प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर यह माना कि विवादित भूमि का नामा0 दर्ज हुआ था परन्तु उसका अमल नही हुआ था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ख0नं0 1762 रकवा 2.10 है0, 1789 रकवा 0.01 है0 एवं 1790 रकवा 0.40 है0 वांके पांचोलास पर से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 11 का नाम हजफ कर प्रार्थी पुरूषेत्तम की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सवाई माधोपुर को दिये। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मुताविक रिपोर्ट नामा0 सं0 48 दिनांक 04.06.75 सरपंच ग्राम पंचायत पांचोलास द्वारा गत ख0नं0 596/2 रकवा 5 बीघा व नामा0 सं0 200 तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा गत ख0 नं0 596/1 रकवा 3 बीघा 596/2 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा पुरूषोत्तम पुत्र श्रीनारायण नाई के पक्ष में स्वीकार हुआ। उपरोक्त दोनों नामान्तरकरणों का तत्कालीन जमाबन्दी में अमल नही हुआ। गत ख0 नं0 के हाल ख0 नं0 1762 रकवा 2.10 है0 , 1789 रकवा 0.01 है0 तथा 1790 रकवा 0.40 है0 बने है जो छोटूलाल पुत्र रघुनाथ काछी की खातेदारी में दर्ज हैं। इन नम्बरों पर वर्तमान में पुरूषोत्तम नाई का कब्जा है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं0 48 एवं 200 का राजस्व रिकार्ड में अमल नही होने से ही गलती हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरणों के आधार पर विवादित आराजी पुरूषोतम के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। जिसमें किसी प्रकार की अवैधनिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विववेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.01.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर